Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं0– 181 / 2016–17

वाद का प्रकार – बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

19/7/16

झारखंड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक 13.06.2016 संप्रेषित श्री अनुल मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं0–3–खा0म0नीति–113/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि –

मौजा खैरबनी .... थाना सं0 42 ज.बं. 436 खाता सं0 138 .... प्लॉट सं0 ....

.... रकबा 0.50 एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास [illegible] बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी [illegible] के पृष्ठ– II पर जमाबंदी रैयत हाकिम मांझी, पि0 भीक मांझी .... के नाम से कायम है।

सा0 खैरबनी

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा [illegible] उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/[illegible] के आधार पर/जाली/अवैध कागजात बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध [illegible] के आधार पर/अवैध हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है जिसको रद्द करना [illegible] एवं राज्य के हित में कायम करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की संदिग्ध जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत करते हुए [illegible] में उपस्थित होकर अपने मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा [illegible] कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत रैयती अधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक........................ को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
बलियापुर।

(हस्ताक्षर) 19/7/16
अंचल अधिकारी
बलियापुर

1/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। जमाबन्दी रैयत के वंशज द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त भूमि से संबंधित हुकुमनामा/बन्दोबस्ती केस सं० 6(II)/70-71 की छाया प्रति तथा लगान रसीद वर्ष 1996 तक की छाया प्रति समर्पित किया गया है।

अतः अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

ह० 1/8/16
अंचल अधिकारी
बलियापुर

[illegible] अनुपुर

वाद अभिलेख संख्या- 181 [illegible]

सूचना

बनाम [illegible]

हकिम मांझी पि० भीक मांझी
सा० डेंगरा

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि [illegible] डेंगरा [illegible] 42
खाता नं०- 138 खसरा नं० — रकबा 0.50 एकड़ [illegible]
हo नं० II के धारा-11 [illegible]
[illegible] किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 1/8/16 [illegible] भूमि बंदोबस्ती से संबंधित [illegible] रसीदों, [illegible] M एवं [illegible] रसीदें [illegible] भूमि पर [illegible] होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

स्मरण रहे कि अन्यथा की स्थिति में [illegible]

इसे [illegible]

[illegible] 2/7/16
[illegible]

तिथि-
स्थान-

2/7/16

[illegible]

Naresh Kumar

नोटिस तामिला [illegible]
पो० 24 [illegible]